न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश, ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2015 जिला–रीवा

निग - 3995 - II-15

81

श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी अभिभाषक द्वारा दिनांक 15-12-15 को प्रस्तुत।

15-12-15
S.O

15/12/15

1. यज्ञनारायण उपाध्याय पुत्र बिन्यधेश्वरी प्रसाद उपाध्याय,
2. कुन्तीदेवी वैवा लालता प्रसाद,
3. बुद्धसेन पुत्र गंगाराम उपाध्याय,
4. नागेन्द्र पुत्र अवधशरण उपाध्याय,
5. सतीश पुत्र लालता प्रसाद,
   निवासीगण बेलादिलसुआ, पोस्ट बंधवा, तहसील नई गढी, जिला रीवा (म0प्र0)

–– आवेदकगण

विरूद्ध

1. हनुमान प्रसाद पुत्र बलदेव प्रसाद,
2. श्रीमती बेलाकली विधवा केशरी प्रसाद
3. राजीव कुमार पुत्र केशरी प्रसाद
4. सावित्री देवी पत्नी संयय कुमार,
5. अमित कुमार पुत्र संजय कुमार,
6. दिवाकर प्रसाद पुत्र बलदेव प्रसाद,
7. जीवनवती पत्नी शेषमणि,
8. भूपेन्द्रप्रसाद पुत्र शेषमणि,
   निवासीगण ग्राम छिपिया, तहसील मऊगंज, जिला रीवा (म0प्र0)
9. मध्य प्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर जिला रीवा (म.प्र.)

–– अनावेदकगण

<u>न्यायालय नायब तहसीलदार, रामपुर, तहसील मऊगंज, जिला रीवा द्वारा प्रकरण क्रमांक 01/अ–5/08–09 में पारित आदेश दिनांक 15.10. 2008 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।</u>

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से यह पुनरीक्षण निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

<u>मामले के संक्षिप्त तथ्य :</u>

1– यहकि, आवेदकगण एवं अनावेदकगण के संयुक्त खाते की आराजी ग्राम बेलादिलसुआ में स्थित आराजी नम्बर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 27, 29, 30, 54, 59, 62, 65, 68, 73, 74, 84, 86, 88, 94, 96, 124 कुल किता 36 एवं ग्राम खांच में

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक–निगरानी–3995–दो/2015 जिला–रीवा

यज्ञनारायण उपाध्याय आदि विरूद्ध हनुमान प्रसाद आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
06–03–2019	प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक की ओर से श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी एवं अनावेदक की ओर से श्री आर.एस. सेंगर अभिभाषक उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी नायब तहसीलदार रामपुर, तहसील मऊगंज, जिला–रीवा के प्रकरण क्रमांक 01/अ–5/अपील/2008–09 में पारित आदेश दिनांक 15–10–2008 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25–9–2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला– रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 03–05–2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (आर0के0 जैन) सदस्य 6/3/19	